

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम दे।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार तुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे समिधा हो।



ग्राम : गूबीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.प.2011/ 3649

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(आग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-  
महाविद्यालय का नाम : ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, साक्षी परिसर, शब्दग्रातप आश्रम रोड, उरवाई गेट, ग्वालियर  
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. लोक सिंह, शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़  
2. डॉ. साधना दीक्षित, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना  
उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

### प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, साक्षी परिसर, शब्दग्रातप आश्रम रोड, उरवाई गेट, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अवधर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सर्वान्वित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गूदीरेंडी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फँक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 41014

दिनांक : 12.11.11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पद क्रमांक (31) के निर्णयानुसार ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, उरवाई गेट, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम के लिये अरथाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तों/प्रतिबंध :-

- इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के नियमानुसार प्राचार्य छवं 04 लैक्चरर तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत की जावे।
- न्यूट्रीशन लैब में गैस के चूल्हे 2 एवं पकाने के बर्बादों का सैट 2 क्रय किये जावें।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, उरवाई गेट, ग्वालियर
- सचिव, इण्डियन नर्सिंग कॉंसिल, ट्रैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि विस्ती अन्व पराधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कायालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4016

दिनांक : 12.11.11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की बैठक दिनांक 21 सितम्बर 2011 के पद क्रमांक (07) के निर्णयानुसार ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- प्राचार्य एवं खेल अधिकारी एवं लाइब्रेरियन की नियुक्ति 28(17) में की जाये।
- महाविद्यालय में एक लाख रुपये की नर्सिंग एम.एस-सी. से सम्बन्धित किताबें क्रय की जायें।

नोट:- एम.एस-सी. प्रथम वर्ष नर्सिंग में 12 (बारह) सीट (मेडीकल सर्जरी में 09 (नौ) तथा सी.एच.एम. में 03 (तीन) सीट निर्धारित की जाती हैं।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर
- सचिव, इण्डियन नर्सिंग कॉर्सिल, ट्रैम्पल लैन, कोट्ला मार्ग, बड़ी दिल्ली
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
मुख्यित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक परं दिनांक  
अवधि लिखा जावे विसरण संविधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी  
दूरध्वाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५३५७

दिनांक: ०३/०१/१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ग्वालियर निर्सिंग कॉलेज, उरवाई गेट, ग्वालियर (0751-2443943) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. निर्सिंग, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर/(संयोजक)  
(0751-2442828)

(2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कॉलेज, ग्वालियर।

(3) डॉ. शेलजा जैन, आचार्य, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेब्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अकित जरूर। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेदन है कि वे उक्त नियारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उल्लङ्घनित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन आत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मार्केट महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

### प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।  
उम्बेक्षित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य सेवा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५३५५

दिनांक: ०७/०१/१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर (0751-2443942) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानकीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(0751-2442828)

(संयोजक)


(2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) श्रीमती सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रेजीडेंसी रोड ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही कराता है तो समिति खत: बिरुद्ध हो समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रबोली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति उे निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निरीक्षण कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)